तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनीशियल्स जज
9/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी पक्ष उपस्थित। प्रार्थनापत्र धारा 212 में बहस अप्रार्थी पक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 30/04/25 को पेश हो। [signature] 09/5/25
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी पक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT r.w. O. 39 R 1 & 2 cpc के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। धारा - 212 RT r.w. O. 39 R 1 & 2 cpc को adjudicate करने के लिए क्रमशः तीन बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण मे प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन :- ग्राम सिरपाई तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खसरा 735, 736, 739, 740 व 741 की जमाबंदी संवत 2074-77, मृतक खातेदार भवानीराम के फौती नामा० स० 2272 दिनांक 24/08/2021, बेचान नामा० स० 225 दिनांक 15/9/1977, नामा० स० 178 दिनांक 26/11/1975 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सिरपाई की आराजी ख० न० 739, 735 व 736 अप्रार्थी क्रम 1 कन्हैयालाल पुत्र भवानीराम की स्वअर्जित आराजी है अर्थात स्वअर्जित सम्पत्ति है। इनके पैतृक होने का कोई भी साक्ष्य प्रार्थी [illegible] पेश नहीं किया गया है। [illegible] वादग्रस्त आराजी में से ख० न० 735, 736 [illegible] प्रार्थीगण [illegible] पैतृक आराजी [illegible] नहीं है अर्थात ख० न० [illegible] व 741 जारिये विरासत नामा० स० (क्रमशः) 2247 दिनांक 05/7/2021 व 2272 दिनांक 24/08/2021 भवानीराम के फौत होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुनेल जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
से इनके वारिसान के रूप में अप्रार्थी क्रम 1 को हिस्सा 1/7 प्राप्त हुआ था। यह भूमि चतुर्थ पुरुष पीढ़ी से undivided रूप से विरासत में प्रार्थीगण को प्राप्त हुई हो- ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसका निर्धारण मूलवाद में तनकी कायम कर साक्ष्य लिया जाकर किया जाना है। अतः प्रथम दृष्टया ख0 नं0 740 व 741 में हिस्सा 1/7 ही प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। अप्रार्थी क्रम 1 के कितने वारिसान (पुत्र-पुत्री) है- इसका कोई प्रमाणित सबूत या साक्ष्य भी प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं है। अप्रा0 अप्रार्थीगण ने वारिसान के सम्बंध में कोई विरोध पेश नहीं किया है। अतः otherwise साबित होने तक, अप्रार्थी क्रम 1 के वारिसान, प्रार्थीगण ही है। यह सही है कि The Hindu Succession Act के प्रावधानों अनुसार किसी हिन्दू की पैतृक संपत्ति में उसके कानूनी वारिसान का जन्म से ही हक व अधिकार निहित होता है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र से कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 आदतन शराबी है और शराब के लिए उक्त सम्पूर्ण पैतृक आराजीयात को बेचने पर उतारू है। यदि सम्पूर्ण भाग का बेचान किया गया तो प्रार्थीगण को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम सिरपोई की बाउण्ड्रस्त आराजी ख0 नं0 740 रकबा 0.5059 hec एवं ख0 नं0 741 रकबा 0.5691 hec के प्रथम दृष्टया पैतृक आराजी होते एवं शराब के लिए अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा [illegible] से अपने Notional share [illegible] दृष्टया एवं सुविधा का [illegible] पक्ष में साबित होता है। (स) अपूरणीय क्षति → यदि अप्रार्थी क्रम 1 ख0 नं0 740 व 741 में अपने हिस्से से प्रार्थीगण के निहित Notional share का भी बेचान करता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर(?) जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	जारी होगी। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. 39 R 1 & 2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 को समसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम सिरपोई तहसील सुनेल की आराजी ख०न० 740 रकबा 0.5059 hec में अपने हिस्से 1/7 में से प्रार्थीगण के अन्तर्निहित Notional share (2/3) यानी कुल हिस्सा 2/21 एवं ख०न० 741 रकबा 0.5691 hec में अप्रार्थी के हिस्से 1/21 में प्रार्थीगण के Notional share 2/63 को कहीं रहन, बैचान, दान, हकत्याग आदि अंतरण नहीं करे। उक्त खसरा नम्बरों में अन्य सहखातेदारों के हिस्से पर कोई स्थगन नहीं होगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ में संलग्न हो। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.02 18:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner